न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील/टी.ए./826/2003/भरतपुर

1– मांगीराम पुत्र रामचन्द्र मृतक जरिये वारिसान–
1/1– बरफी पत्नी मांगीलाल
1/2– देवेन्द्र पुत्र मांगीलाल
2– नन्हे राम पुत्र रामचन्द
3– मंगलराम पुत्र रामचन्द्र–मृतक–नाम तर्क आदेश दिनांक 20–1–2022
समस्त जाति जाटव निवासी ग्राम गुरगुरिया तहसील कामां जिला भरतपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– सम्पत पुत्र कुन्दन – मृतक जरिये वारिसान –
1/1– सुनीता पत्नी सम्पत
1/2– रोबिन पुत्र सम्पत
1/3– सचिन पुत्र सम्पत
1/4– प्रिया पुत्री सम्पत नाबालिग जरिये संरक्षक माता सुनीता
1/5– रिशु पुत्री सम्पत नाबालिग जरिये संरक्षक माता सुनीता
2– खुशीराम पुत्र कुन्दन
समस्त जाति जाटव निवासीगण ग्राम गुरगुरिया तहसील कामां जिला भरतपुर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थितः–
श्री जे.के. पारीक, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री उमेश कुमार, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः 20–05–2022

अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा अपील संख्या–124/2001 बउनवानी सम्पत व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05–02–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, कामां के न्यायालय में एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गुरगुरिया तहसील कामां स्थित आराजी खसरा नम्बर 260 रकबा 01बीघा 09बिस्वा भूमि वादीगण के पिता रामचन्द्र एवं प्रतिवादीगण के पिता कुन्दन की शामलाती खातेदारी की आराजी थी और दोनों बहिस्सा बराबर काश्त करते थे। प्रतिवादीगण के पिता कुन्दन वादीगण के पिता रामचन्द का खास बडा भाई था, जिसके कारण समस्त विवादित आराजी का इन्द्राज खातेदारी प्रतिवादीगण के पिता कुन्दन के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से अंकित होता रहा था। सम्वत् 2028 में वादगण के पिता रामचन्द्र व प्रतिवादीगण के पिता कुन्दन में आपसी बंटवारा हो गया और बंटवारे अनुसार खसरा नम्बर 260 रकबा 01बीघा 09बिस्वा भूमि वादीगण के पिता रामचन्द्र के पक्ष में आई। तभी से वादीगण के पिता अपने जीवनकाल तक विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करता रहा। सम्वत् 2030 में राजस्व अधिकारियों ने मौके की जांच करके वादीगण के पिता का कब्जा व काश्त पाये जाने पर वादीगण के पिता को राजस्व रिकार्ड में उपकृषक दर्ज कर दिया। विवादित आराजी मौके पर वादीगण की अन्य खातेदारी के रकबे खसरा नम्बर 261 व 262 में मिला हुआ है। प्रतिवादीगण के पिता का 10वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है, जिनकी मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम गलत अंकित कर दी जबकि प्रतिवादीगण को विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं होकर वादीगण विवादित आरजाी पर काबिज काश्तकार है। अतः प्रतिवादीगण के नाम हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजन किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

3– विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना बताते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित पांच तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 27–03–2001 से वादीगण का वाद डिक्री करते हुए वादीगण को विवादित आराजी का बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 05–02–2003 से

आंशिक स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

4– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस बहस सुनी।

5– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या–1 का विनिश्चय करते समय विवादग्रस्त सम्पत्ति पर सम्वत् 2031–34 तक वादी के पिता काबिज थे और उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण काबिज है और शामिल रहते हुए काश्त करते आ रहे है। कुन्दन वादीगण के पिता के बडे भाई होने के आधार पर जमीन उनके नाम चढ गयी थी और उसी आधार पर वाद डिक्री किया गया है। वादी के पिता का कब्जा होने के आधार पर ही रिकार्ड में सम्वत् 2030 में उपकृषक दर्ज किये गये थे। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद सही रूप से डिक्री किया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण दिये प्रकरण को रिमाण्ड किया है जिसका कोई कानूनी आधार भी नहीं है। इसलिए उक्त आदेश अपास्त किया जाकर वादी का वाद डिक्री किया जावे।

6– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील रिमाण्ड करने का जो आदेश दिया गया है, वह विधिसम्मत् नहीं है। सम्वत् 2031 से पहले व बाद का कोई इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं है और ना ही उस आधार पर दावा डिक्री हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या–1 को वादी के विरूद्ध तय करने के पश्चात् भी दावा खारिज नहीं किया जबकि दावा खारिज किया जाना चाहिए था। वादग्रस्त सम्पत्ति पर आज भी रेस्पोडेन्ट खातेदार है, वाद का कोई हित अथवा राजस्व रिकार्ड में नाम नहीं है और ना ही वे काबिज है। इसलिए उक्त आदेश अपास्त किया जाकर विचारण न्यायालय का आदेश भी खारिज किया जावे।

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

8– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मांगीराम बनाम सम्पत वगैराह का वाद दिनांक 27–3–2001 को डिक्री किया और यह उल्लेख किया कि वादीगण के पिता रामचन्द्र व प्रतिवादी के पिता कुन्दन दोनों संगे भाई थे और सम्वत् 2028 में ही उनका बंटवारा हो गया था और उक्त सम्पत्ति वादीगण के पिता के हिस्से में आई थी और इसी आधार पर खसरा गिरदावरी में रामचन्द्र का नाम आया था और उन्हें उपकृषक दर्ज किया गया था लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष का खण्डन

करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि वादी की ओर से सम्वत् 2031 से पहले और बाद का कोई राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया है, जिससे यह प्रकट हो कि वादीगण के पिता काबिज रहे है और खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी नहीं मानी जा सकती और विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को पलटा है लेकिन उसके बावजूद भी अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि ''अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।'' किन्तु पारित निर्णय में किस बिन्दू पर पुनः साक्ष्य लेनी है और किस बिन्दू पर दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देना है, कोई कारण अंकित नहीं किया है। अपील न्यायालय को निर्णय पारित करते समय स्पष्ट एवं सारभूत निष्कर्ष पारित करना चाहिए, जिससे निर्णय में कोई अस्पष्टता नहीं रहे। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपील का निस्तारण किया है एवं स्पष्टता का पूर्णतयाः अभाव रखा है। आदेश 41 नियम 24 सीपीसी में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जहां अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य हो वहां अपील न्यायालय मामले का अन्तिम रूप से अवधारण कर सकेगा और आदेश 41 नियम 23 सीपीसी में यदि न्यायालय उचित समझता है कि मामला प्रतिप्रेषित किया जावे तो वह निर्देश के साथ भेजेगा कि कौनसे विवाद्यक या बिन्दू पर पुनः विचारण किया जावे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्देश निर्णय मं नहीं लिखा है। इसलिए उक्त निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

9– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–02–2003 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिये जाते है कि वे मामले में बिन्दूवार दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त स्पष्ट निष्कर्ष अंकित करते हुए पुनः पारित पारित करें।

10– पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग के न्यायालय में दिनांक 14–06–2022 को उपस्थित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष